

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक

~~12017/18~~ निगरानी- 5919/2018/उज्जैन/भू.सं.

1- श्रीमती गायत्री पति शिवनारायण,
आयु-60 वर्ष, निवासी-ग्राम चंदेसरा, तहसील व
जिला उज्जैन म.प्र. कृषक ग्राम चैनपुर हसखेड़ी
तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.

आवेदक श्री जे.एल. जाधव,
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 05.09.2018
अधीनस्थ
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

2- नादर पिता अब्बास, आयु-63 वर्ष,
निवासी-ग्राम नरवर तहसील व जिला उज्जैन
कृषक ग्राम चैनपुर हसखेड़ी तहसील व जिला
उज्जैन म.प्र. --- निगरानीकर्तागण

--- विरुद्ध ---

1- सुन्दरलाल पिता राधाकिशन
निवासी-ग्राम चैनपुर हसखेड़ी तहसील व
जिला उज्जैन म.प्र.

2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश महोदय,
उज्जैन म.प्र. --- प्रत्यर्थागण

अधीनस्थ न्यायालय माननीय तहसीलदार महोदय, (श्री
दीपाली जाधव) महोदय उज्जैन म.प्र. के प्रकरण क्रमांक
0089 अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक
23/07/2018 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निगरानी
अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, आवेदक क्रं. 1 के नाम पर ग्राम चैनपुर हसखेड़ी तहसील व जिला
उज्जैन म.प्र. में कृषि खाता है जिसका सर्वे क्रं. 114/1 रकबा 2400 हे है। इसी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5919/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जे.एस. जाधव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	